विस्तृत विज्ञापन

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 05 / परीक्षा / प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) / माध्यमिक शिक्षा / 2015–16 दिनांक : 16.10.2015

आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत विभिन्न विषयों में **प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)** के पदों हेतु **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित किए जाते हैं। पद अस्थाई–स्थाई होने की संभावना। कुल रिक्त पदों की संख्या निम्नानुसार हैः–(पदों में कमी / वृद्धि की जा सकती है।)

Sr. No.	Subject	No. of Post(s)	Gen.				S.C.				S.T.				OBC				SBC				P.H.		
			Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	Gen.	GF	WD	DV	B/LV	HI	LD/CP
प्राध्यापक छात्र संस्थाएं (अनुसूची प्रथम के अनुसार)																									
1	हिन्दी	3163	964	275	110	27	397	113	46	10	280	79	32	8	465	133	53	13	111	32	12	3	48	0	48
2	भूगोल	1191	382	110	43	10	145	41	16	4	92	26	10	3	175	50	20	5	42	12	4	1	19	0	18
3	राजस्थानी	8	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	समाजशास्त्र	11	5	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	चित्रकला	136	51	15	5	1	13	3	2	0	8	2	1	0	21	5	3	0	5	1	0	0	3	0	2
6	अंग्रेजी	860	320	92	36	9	93	26	10	3	33	9	4	1	127	36	14	4	31	9	3	0	13	0	13
7	संस्कृत	356	115	32	13	3	35	10	4	1	37	10	4	1	52	15	6	1	12	4	1	0	6	0	5
8	इतिहास	1968	620	178	70	17	224	63	26	6	178	51	20	5	289	82	33	8	69	21	7	1	30	0	29
9	भौतिक विज्ञान	822	318	91	36	9	63	18	7	2	47	13	5	1	120	34	14	3	29	9	3	0	0	0	25
10	गणित	276	87	25	9	2	34	9	4	1	25	7	2	1	40	11	5	1	10	2	1	0	0	0	9
11	गृह विज्ञान	107	48	14	5	1	5	1	1	0	4	1	0	0	16	4	2	0	4	1	0	0	2	0	2
12	रसायन विज्ञान	799	292	83	33	8	71	20	8	2	54	15	6	1	117	33	14	3	28	8	3	0	0	0	24
13	जीव विज्ञान	598	206	60	23	5	61	17	6	2	45	13	5	1	88	25	10	2	21	6	2	0	0	0	18
14	वाणिज्य	197	90	26	10	2	6	1	1	0	9	2	1	0	28	8	3	1	7	2	0	0	3	0	3
15	अर्थशास्त्र	180	68	21	7	1	13	3	2	0	14	3	2	0	26	7	3	1	7	2	0	0	3	0	3
16	संगीत	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	सिन्धी	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	राजनीति विज्ञान	2234	713	204	81	20	231	65	27	6	217	61	25	6	327	93	38	9	78	23	8	2	34	0	34
प्राध्यापक छात्रा संस्थाएं (अनुसूची द्वितीय के अनुसार) (इन पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करें)																									
19	हिन्दी	74	0	68	5	1	0	11	1	0	0	8	1	0	0	15	1	0	0	3	0	0	2	0	1
20	दर्शनशास्त्र	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	भूगोल	19	0	18	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	चित्रकला	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	संस्कृत	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	वाणिज्य	50	0	45	4	1	0	7	1	0	0	6	0	0	0	9	1	0	0	2	0	0	1	0	1
25	जीव विज्ञान	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	सिन्धी	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	राजनीति विज्ञान	22	0	21	1	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0

अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता : (प्राध्यापक–चित्रकला के अतिरिक्त *समस्त पदों के लिये)* :–

(1) सरकार द्वारा मान्य शिक्षा स्नातक (बी.एड.) और सुसंगत विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता।

नोटः–परन्तु यह कि उपरोक्त योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची यथा उल्लिखित अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता है में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा की दिनांक से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा आवेदक अपात्र माना जावेगा।

स्पष्टीकरणः– यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे जो आवेदक आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे एवं पद की वांछित योग्यता की अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए या सम्मिलित होने वाले हैं।

प्राध्यापक–गृह विज्ञान हेतु उपरोक्त योग्यता के अतिरिक्त निम्नलिखित नोट भी लागू होगाः–

"If required number of candidate are not available. In case Post Graduate in Home Science are not available than Graduate with Degree or Diploma in Education with 5 years experience of teaching Home Science of the standard of Secondary or Higher Secondary Class shall be eligible for the post of Senior Teacher in Home Science (preferable B.Sc. with Home Science) Graduates with Home Science will also be eligible if they are Post Graduate in any other subject but with Degree or Diploma in Education."

प्राध्यापक–चित्रकला हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता :–

Post Graduate Degree in Drawing or equivalent exam. recognised by Govt. **OR** Graduate with 5 yrs. experience of teaching Drawing in a recognised institution **OR** Diploma of 5 years duration in Arts of any School/College of Arts recognised by Government.

(2)(सभी विषय पदों हेतु)देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

रनिंग पे–बैण्ड	रनिंग पे–बेण्ड(9300–34800) ग्रेड पे रू. 4800 / –
आयु सीमा	दिनांक 01.07.2016 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम।

आयु सीमा में छूट के प्रावधान			
क्र.सं.	अभ्यर्थियों का वर्ग		अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)
1.	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष		5
2.	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की महिला		10
3.	सामान्य वर्ग की महिला		5
4.	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला		अधिकतम आयु सीमा नहीं
5.	निःशक्तजन	सामान्य	10
		पिछड़ा / विशेष पिछड़ा वर्ग	13
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	15
	नोट :– राजस्थान निःशक्तजन व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियम 39 में प्रावधान इस प्रकार है–"Provided that in cases of exceptional hardship the State Government may further relax the age limit."		
अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान			
1	भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के		

	योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
2	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित् होने से पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के तहत् नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
3	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।
4	राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सब्स्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
5	कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जावेगा।
6	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा में ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
7	पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
8	राज्य कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

<u>नोट</u>–

(1) उपरोक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

(2) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ शासन से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise)के अनुसार ही देय होगा अर्थात् अगर किसी वर्ग (Category)के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7/6/कार्मिक/ए–II/2008 दिनांक–23.09.2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार"जिस भर्ती की वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नही हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की आयु की दृष्टि से पात्र था, तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जावेगा, किन्तु यह छूट तीन वर्ष से अधिक नही दी जाएगी।"

प्राध्यापक –सिन्धी (स्कूल शिक्षा) के पदों को छोड़कर अन्य सभी विषय पद आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 में विज्ञापित किया गया था जिसके तहत् आयु की गणना दिनांक 01.07.2014 को की गई थी। *तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन आयोग द्वारा जारी नहीं किया गया था।* अतः राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23–09–2008 के अनुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2016 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में **एक वर्ष की छूट** देय होगी तथा **प्राध्यापक–सिन्धी विषय के पदों हेतु उपरोक्त अधिकतम् आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।**

अन्य विवरण	
<u>अनेक पदों के लिए आवेदन</u>–	यदि कोई अभ्यर्थी **प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)** के एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रत्येक पद हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से जमा कराना होगा और प्रत्येक के लिए पृथक आवेदन पत्र भी भरना होगा, किन्तु दूसरा आवेदन पत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर Yes क्लिक करें और तदुपरान्त उसके नीचे दिखने वाले खाली स्थान में आवश्यक रूप से प्रथम आवेदन–पत्र का **आवेदन पत्र क्रमांक** (Application ID) अंकित करें। आयोग द्वारा उक्त सभी पदों के लिये प्रथम प्रश्न–पत्र की एक ही परीक्षा कराई जा सकती है और ऐसी स्थिति में केवल द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु उन्हें पृथक–पृथक परीक्षा देनी पड़ेगी। **यदि कोई अभ्यर्थी दूसरा आवेदन पत्र भरते समय अपने प्रथम आवेदन का क्रमांक नहीं भरता है, तो वह दूसरे पद की परीक्षा के लिए निरस्त (Rejected) कर दिया जाएगा।**
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के **अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला** व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित **परीक्षा से पूर्व** शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। **<u>स्पष्टीकरण</u>**:– उक्त सुविधा का वे ही अभ्यर्थी उपभोग कर सकेंगे, जो आवेदक **आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक** पद की वांछित योग्यता की परीक्षा के अन्तिम वर्ष में प्रवेश ले चुके होंगे।
प्राथमिकता क्रम	जो महिला अभ्यर्थी पद क्रम सं. 1 से 18 एवं 19 से 26 दोनों हेतु आवेदन कर रही हों, वे प्राथमिकता क्रम के कॉलम में अपनी प्राथमिकता क्रम आवश्यक रूप से अंकित करें।
चयन प्रक्रिया	अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।
परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम	यह परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में **(Online/Offline)** ली जायेगी। **सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे**।विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन अवधि	**दिनांक**23–10–2015 **से दिनांक**23–11–2015 रात्रि 12–00 बजेतक।
आवेदन पत्र में ऑनलाईन संशोधन	ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन**दिनांक**24–11–2015**से दिनांक** 23–12–2015रात्रि 12–00 बजेतक।

परीक्षा योजना

<u>Scheme of examination and syllabus for the post of School Lecturer</u>

(1) The competitive examination shall carry 450 marks.
(2) There will be two papers. Paper I shall be of 150 marks and Paper II shall be of 300 marks. Duration of Paper I shall be One and a Half hours and the duration of Paper II shall be Three hours.
(3) All the question in both the Papers shall be Multiple Choice Type questions.
(4) Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one-third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.
Explanation:- Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
(5) Subjects included in both the papers and the marks given to them are shown in the tables below:

Paper-I General awareness and General Studies
Duration: 1 Hour and 30 minutes

S.No.	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
1	History of Rajasthan and Indian History with special emphasis on Indian National Movement	15	30
2	Mental Ability Test, Statistics (Secondary Level), Mathematics (Secondary Level), Language Ability Test : Hindi, English	20	40
3	Current affairs	10	20
4	General Science, Indian Polity, Geography of Rajasthan	15	30
5	Educational Management, Educational Scenario in Rajasthan, Right to Education Act, 2009	15	30
	Total	**75**	**150**

Paper-II Subject Concerned
Duration: 3 Hours

S.No.	SUBJECT	No. of Questions	Total Marks
	Knowledge of Subject Concerned: Senior Secondary Level	55	110
	Knowledge of Subject Concerned: Graduation Level	55	110
	Knowledge of Subject Concerned: Post Graduation Level	10	20
	Educational Psychology, Pedagogy, Teaching Learning Material, Use of Computers and Information Technology in Teaching Learning.	30	60
	Total	**150**	**300**

(आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी। इस प्रकार संबंधित सेवा नियमों में यदि कोई संशोधन होता है, तो भर्ती/परीक्षा उसके अनुसार आयोजित की जाएगी, जिसके लिए यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।)

विशेष सूचना :–''यदि कोई अभ्यर्थी अपने Online आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 30 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क देकर Online/Offline संशोधन कर/करवा सकता है। आवेदन पत्र में संशोधन एवं विकलांग/विधवा के वर्ग में संशोधन के संबंध में आयोग की वेब–साईट पर उपलब्ध Instruction for Applicants में अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के तहत् आवेदन प्रक्रिया संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या 7 'ऑन लाईन आवेदन संशोधन की प्रक्रिया' एवं 'Guidelines for Edit Application' का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें एवं उक्त निर्देशों में अंकित अंतिम दिनांक तक ही त्रुटि संशोधन स्वीकार्य होंगे इसके पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।''

अन्य बिन्दु व सूचना :– परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य बिन्दु व सूचना के लिए आयोग द्वारा आयोग की वेबसाइट पर **दिनांक 01.07.15**को जारी **परीक्षार्थियों हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश** तथा **सम्बन्धित सेवा नियमों** का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लें।इसके अतिरिक्त समय–समय पर जारी इस परीक्षा से संबद्ध सूचनाओं को आयोग की वेबसाइट **http://www.rpsc.rajasthan.gov.in**या **http://rpsconline.rajasthan.gov.in**पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा **दूरभाष सं.– 0145–5151212 एवं 5151200** पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

(भगवत सिंह राठौड़)
सचिव

विज्ञापन संख्या : 05/परीक्षा/प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा)/माध्यमिक शिक्षा/2015–16/179 दिनांक : 16.10.2015

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, राजस्थान, जयपुर को आयोग का विस्तृत विज्ञापन संख्या **–05/परीक्षा/प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा)/माध्यमिक शिक्षा/2015–16**राजस्थान रोजगार सन्देश, जयपुर के **नवीनतम संस्करण में केवल एक बार प्रकाशित कराने हेतु भेजा जाता है।**

सहायक सचिव